

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 132/2009 सत्रवाद

संस्थिति दिनांक 26-06-2009

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
एण्डोरी जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. हरेन्द्रसिंह पुत्र नाथूसिंह भदौरिया उम्र 28 वर्ष।
2. बृजेन्द्रसिंह पुत्र नाथूसिंह भदौरिया उम्र 40 वर्ष।
3. सुरेन्द्रसिंह पुत्र कन्हई सिंह भदौरिया उम्र 55 वर्ष।
4. द्वारिका सिंह पु मदनसिंह तोमर उम्र 76 वर्ष।
5. अनीता पत्नी सतेन्द्र सिंह भदौरिया उम्र 35 वर्ष।
6. सोनू पुत्र नाथू सिंह भदौरिया उम्र 24 वर्ष।
7. भवानीसिंह पुत्र चतुरसिंह भदौरिया उम्र 36 वर्ष।
समस्त निवासीगण ग्राम बकनासा, थाना एण्डोरी,
परगना गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0।

.....अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्रं0. 1135/2008 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्रं0 132/2009

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्त द्वारा श्री एन0पी0कांकर अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 13-05-2015 को घोषित किया गया//

01. आरोपीगण हरेन्द्र एवं श्रीमती अनीता का विचारण धारा 498ए, 304बी, 201 भा0दं0वि0 के आरोप के संबंध में किया जा रहा है तथा शेष आरोपीगण भवानीसिंह, सोनू,

सुरेन्द्रसिंह, द्वारिका सिंह, बृजेन्द्रसिंह का विचारण धारा 201 भा0दं0वि0 के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। आरोपी हरेन्द्र एवं श्रीमती अनीता पर यह आरोप है कि दिनांक 21.07.2008 को 13:30 बजे या उसके करीब ग्राम बकनासा थाना एण्डोरी में मृतिका रचना उर्फ अर्चना के ससुरालजन पति एवं जिठानी रहते हुए उसे दहेज में एक मोटरसाइकिल एवं चालीस हजार रुपए की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर मृतिका रचना उर्फ अर्चना की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर सामान्य परिस्थितियों के भिन्न परिस्थितियों में कारित हुई और मृत्यु के पूर्व उक्त मृतिका को उसके पति और पति के नातेदार रहते हुए दहेज की मांग को लेकर उसके प्रति क्रूरता का व्यवहार किया। उन पर यह भी आरोप है कि मृतिका रचना उर्फ अर्चना की दहेज मृत्यु हो जाना जानते हुए अथवा यह विश्वास करने हेतु पर्याप्त कारण होने पर उसकी दहेज हत्या की गई, उक्त अपराध घटित की जाने की साक्ष्य विलोपित करने के आशय से शव को जलाकर साक्ष्य विलोपित किया जिससे कि आप धारा 304बी भा0दं0वि0 के अपराध के वैध दंड से प्रतिष्ठादित किया जा सके। शेष आरोपीगण पर आरोप है कि मृतिका की मृत्यु के उपरांत उसकी मृत्यु की साक्ष्य को विलोपित करने के संबंध में जो कि धारा 304बी भा0दं0वि0 के अपराध के वैध दंड से प्रतिष्ठादित किया जा सके।

02. प्रकरण में यह अविवादित है कि मृतिका रचना उर्फ अर्चना का विवाह आरोपी हरेन्द्र के साथ दिनांक 26.04.2007 को सम्पन्न हुआ था। यह भी अविवादित है कि आरोपी अनीता मृतिका की जिठानी, सुरेन्द्र ककिया ससुर, सोनू देवर एवं बृजेन्द्र जेठ है। यह भी अविवादित है कि विवाह के समय मृतिका के मायके पक्ष के द्वारा अपनी हैसियत अनुसार दान दहेज दिया था।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि फरियादी/रिपोर्टकर्ता धर्मेन्द्र सिंह की बहन रचना की शादी आरोपी हरेन्द्र सिंह के साथ सम्पन्न हुई थी। विवाह के समय सम्पूर्ण गृहस्थी का सामान व नगदी एक लाख रुपए दी गई थी। विवाह के पश्चात् उसकी बहन अपनी ससुराल में रहने लगी और वह ससुराल से मायके आई गई थी। जब वह मायके आती तो उसके द्वारा ससुराल में ससुराल पक्ष के उसके पति हरेन्द्रसिंह तथा उसकी जिठानी अनीता के द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल तथा चालीस हजार रुपए की मांग करते हुए उसे परेशान करने के संबंध में बताया था। मोटरसाइकिल व नगदी दहेज में न मिलने के कारण उनके द्वारा जहर देकर दिनांक 21.07.08 को रचना को मार डाला गया और उसके मरने के बाद उसकी जाँच किसी भी डॉक्टर से नहीं कराई गई और उन्हें सूचना दिए बिना

मृतिका को गाँव में जला दिया गया जो कि आरोपी हरेन्द्रसिंह एवं अनीता के अतिरिक्त आरोपी द्वारिकासिंह तोमर, भवानीसिंह, सोनू, सुरेन्द्रसिंह, बृजेन्द्रसिंह के द्वारा उसे जलाकर साक्ष्य नष्ट करने का काम किया। उक्त आवेदनपत्र के आधार पर मर्ग कायम कर जाँच की गई। जाँच के दौरान आरोपीगण हरेन्द्रसिंह तथा श्रीमती अनीता के द्वारा मृतिका रचना उर्फ अर्चना को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा मृतिका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा होना जो कि मृत्यु के पूर्व मृतिका को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित कर क्रूरता किया जाना के संबंध में तथा उक्त आरोपियों के अतिरिक्त अन्य आरोपीगण द्वारिकासिंह, भवानीसिंह, सोनूसिंह, सुरेन्द्रसिंह तथा बृजेन्द्रसिंह के द्वारा मृतिका की लाश को साक्ष्य विलोपित करने के आशय से जला देने के संबंध में अपराध घटित करना पाए जाने से प्रथम सूचना रिपोर्ट 50/08 थाना एण्डोरी जिला भिण्ड में धारा 304बी, 498ए, 120, 201, 34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, जप्ती की कार्यवाही की गई। प्रकरण की विवेचना की जाकर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध घटित होना पाया जाने पर उनके विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. विचारित किए जा रहे आरोपी हरेन्द्र सिंह एवं अनीता के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 304बी, 498ए, 201 भा0दं0वि0 एवं शेष आरोपीगण भवानीसिंह, सोनू, सुरेन्द्रसिंह, द्वारिका सिंह, बृजेन्द्रसिंह के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 201 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए उन्हें झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में बचाव साक्षी रामकिशन माहौर व0सा0 1, मेघसिंह व0सा0 2 एवं गंगाराम शर्मा अ0सा0 3 के कथन कराए गए हैं।

06. आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:—

1. क्या मृतिका रचना उर्फ अर्चना की मृत्यु हुई?
2. क्या मृतिका रचना उर्फ अर्चना की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर हुई है?
3. क्या मृतिका रचना उर्फ अर्चना की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में अस्वभाविक मृत्यु थी?

4. क्या मृतिका को उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आरोपीगण जो कि उसके पति एवं जिठानी थे के द्वारा दहेज मांगने के लिए विवश कर उसे साथ क्रूरता की?
5. क्या आरोपी हरेन्द्रसिंह एवं अनीता के द्वारा मृतिका रचना उर्फ अर्चना को दहेज में मोटरसाइकिल और चालीस हजार रूपए की मांग कर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया?
6. क्या आरोपी हरेन्द्र सिंह, श्रीमती अनीता तथा अन्य आरोपीगण के द्वारा यह जानते हुए कि दिनांक 21.07.08 को मृतिका की दहेज मृत्यु हो गई है अथवा यह मानने का विश्वास का कारण होने पर भी कि उसकी दहेज मृत्यु हुई है जो कि धारा 304बी भा0दं0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय है उसके शव को जलाकर साक्ष्य का विलोप किया जिसे कि आरोपी वैध दण्ड से प्रतिक्षादित हो सके?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 व 2 :-

07. सर्वप्रथम मृतिका रचना की मृत्यु का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में साक्षी बदनसिंह अ0सा0 1 जो कि मृतिका का पिता है के द्वारा दिनांक 16.04.2012 को हुए अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि लगभग तीन साल पहले गर्मियों के महीनों की बात है उसे टेलीफोन से खबर मिली थी कि उसका पुत्री रचना ससुराल में खत्म हो गई है। उक्त सूचना मिलने पर वह व उसका पुत्र धर्मेन्द्र एवं उसकी सरहेज बिट्टी देवी रचना की ससुराल गए थे। वहाँ देखा तो लडकी का चेहरा काला पड़ा था और शरीर पीला पड़ गया था। लडकी पेटीकोट और ब्लाउज पहने हुए थी। इसके बाद उसका लडका धर्मेन्द्र उसके साथ थाना एण्डोरी गया था और पुलिस वालों को बताया था। इसी प्रकार साक्षी धर्मेन्द्र अ0सा0 2 के द्वारा बताया गया है कि उसकी बहन ग्राम भगवासा में बीमार होने का फोन सुबह 6 बजे आया था। बहन पेटीकोट, ब्लाउज पहने हुए बाहर वाले कमरे में पड़ी हुई थी। उसने और गाँव वालों ने आरोपी हरेन्द्र व मृतिका के ससुराल के अन्य लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रेतआत्मा ने उसे मार दिया है। उसकी बहन का शरीर नीला पड़ गया था। उसकी हत्या जहर देकर करने का असंदेशा था। इस बिन्दु पर अभियोजन साक्षी बिट्टी देवी अ0सा0 3 के द्वारा भी रचना की मृत्यु होने के संबंध में पता चलना और ससुराल जाकर रचना की लाश देखना बताया है। साक्षी रामादेवी अ0सा0 5 ने भी मृतिका की मृत्यु होना, उसका मुँह और दाँत नीले पड़ गए होना बताया है। शशी अ0सा0 6 के द्वारा भी मृतिका की मृत्यु हो जाना और उसका शरीर

नीला पड जाना बताया है। इस प्रकार मृतिका रचना की मृत्यु होना अभियुक्त परीक्षण के दौरान पूछे गए प्रश्नों में आरोपीगण के द्वारा स्वीकार किया है। इस प्रकार मृतिका रचना की मृत्यु होना प्रमाणित है।

08. मृतिका रचना का विवाह आरोपी हरेन्द्र के साथ दिनांक 26.04.2007 को सम्पन्न होना उसके पिता बदनसिंह अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है। इसी प्रकार धर्मेन्द्र अ0सा0 2 के द्वारा भी उक्त दिनांक को मृतिका रचना का विवाह होना बताया है। साक्षी रामादेवी अ0सा0 5 के द्वारा भी उसकी मृत्यु के एक वर्ष पूर्व उसका विवाह सम्पन्न होना बताया है तथा शशी अ0सा0 6 के द्वारा भी रचना की मृत्यु के 12-13 महीने पहले उसकी शादी होना बताया है। इस संबंध में अभियुक्त परीक्षण के दौरान भी दिनांक 26.04.2007 को रचना का विवाह आरोपी हरेन्द्र के साथ सम्पन्न होना स्वीकार किया है। मृतिका रचना की मृत्यु दिनांक 21.07.2008 को हुई है। इस प्रकार मृतिका रचना की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर होना प्रमाणित है।

बिन्दु क्रमांक 03 लगायत 05:-

09. दहेज मृत्यु के संबंध में धारा 304बी भारतीय दण्ड विधान में प्रावधान दिया गया है कि धारा 304बी भारतीय दंड विधान हेतु निम्न आवश्यक तत्व हैं-

- (1) किसी स्त्री की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति के द्वारा या सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा कारित हुई हो।
- (2) मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर हुई हो।
- (3) मृत्यु पूर्व उसके पति या पति के किसी नातेदार के द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई हो या उसे तंग किया गया हो।
- (4) उक्त क्रूरता या तंग करने का कृत्य दहेज की माँग को लेकर या उसके संबंध में किया गया हो।
- (5) इस प्रकार की क्रूरता या तंग करने का कृत्य उसकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व किया गया हो।

यदि उपरौक्त तत्व की पूर्ती हो जाती है तो दहेज मृत्यु कही जाएगी और ऐसे पति व पति के नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाले समझे जाएंगे।

10. इस संबंध में धारा 113बी साक्ष्य अधिनियम भी उल्लेखनीय है जो कि दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के संबंध में प्रावधान कारती है जिसके अनुसार— 'जब प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया गया है कि मृत्यु के ठीक पहले उसे उस व्यक्ति के द्वारा दहेज की मांग के संबंध में परेशान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है।'

11. धारा 498ए भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध की प्रमाणिकता हेतु पति एवं पति के नातेदार होते किसी स्त्री के प्रति शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर करता का व्यवहार करने के संबंध में दण्ड का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी ऐसा आचरण जो कि स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे अथवा किसी स्त्री को या उसके नातेदारों को सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग के संबंध में तंग कर प्रताडित करना प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।

12. उपरौक्त वैधानिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि यदि धारा 304बी भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत दर्शाए गए आवश्यक तथ्यों के पारित हो जाते तो इस संबंध में धारा 113बी साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत दहेज मृत्यु की उपधारणा की जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया जाना उचित होगा।

13. मृतिका रचना उर्फ अर्चना की मृत्यु के कारण एवं परिस्थितियों का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि मृतिका के शव का कोई पंचनामा नहीं बनाया है और न ही उसका कोई पोस्टमार्टम कराया गया है। ऐसी दशा में उसकी मृत्यु किन कारणों एवं परिस्थितियों में किस प्रकार से हुई यह प्रकरण में उपलब्ध अन्य सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर विचार किया जाना उचित होगा।

14. मृतिका रचना की मृत्यु के संबंध में अभियोजन साक्षी बदनसिंह अ0सा0 1 जो कि मृतिका का पिता है के द्वारा यह बताया गया है कि सूचना मिलने पर वह व उसका पुत्र धर्मेन्द्र और सरहेज बिट्टा देवी उसी दिन रचना की ससुराल ग्राम बकनासा गए थे और सुबह 08-08:30 बजे उसकी ससुराल पहुँचे थे, वहाँ पर जाकर देखा तो लडकी रचना का चेहरा गाला पड़ा था और शरीर पीला पड़ गया था और वह मर गई थी। उस समय वह पेटीकोट और ब्लाउज पहने हुए थी। उसकी पुत्री को आरोपी हरेन्द्र व अनीता के द्वारा खत्म कर देने की आशंका उसके द्वारा व्यक्त की गई है।

15. इस बिन्दु पर साक्षी धर्मेन्द्र अ.सा. 2 जो कि मृतिका का भाई है के द्वारा सूचना मिलने पर वह व उसका पिता बदनसिंह, माँ रामदेवी, पत्नी शशी और उसके ससुर नरेन्द्र सिकरवार रचना की ससुराल पहुँचे थे। उसकी बहन पेटीकोट और ब्लाउज पहने बाहर वाले कमरे में पड़ी थी, वहाँ गाँव वालों और आरोपी हरेन्द्र और उसके परिवार वाले अन्य लोग भी थे उन्हें पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रेत आत्मा का चक्कर है, उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। उसकी बहन को जहर देकर मारने की आशंका व्यक्त की गई है। उसका शरीर नीला पड़ा रहा था। साक्षिया रामादेवी अ0सा0 5 जो कि मृतिका रचना की माँ है के द्वारा यह बताया गया है कि उसकी लडकी को किसी ने फोन किया था कि लडकी रचना खत्म हो गई है, उसका मुँह, दाँत नीले पड़े हुए हैं। वह व उसका पति पूरा परिवार घाटना स्थल पर पहुँच गया था। उसकी लडकी रचना को अनीता व हरेन्द्र के द्वारा मारने की आशंका व्यक्त की गई है। इस संबंध में साक्षिया शशी अ0सा0 6 जो कि मृतिका की भाभी है, मृतिका की ससुरा ग्राम बकनासा पहुँचना एवं मृतिका की लाश जहर की बजह से नीली पड़ता वह बता रही है। इस संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी बिट्टादेवी अ0सा0 3 तथा नरेन्द्र सिंह अ0सा0 4 के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया है। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

16. उपरोक्त संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों की विश्वसनीयता का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में साक्षी बदनसिंह अ0सा0 1 के कथन में यह बात आई है कि लडकी का चेहरा काला पड़ा था और शरीर पीला पड़ा था जबकि अन्य अभियोजन साक्षी धर्मेन्द्र अ0सा0 2, रामादेवी अ0सा0 5 तथा शशी अ0सा0 6 मृतिका के शरीर को नीला पड़ जाना बताते हुए उसे जहर देकर मारा जाने की आशंका होना बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी बदनसिंह के द्वारा यह बताया गया है कि लडकी रचना के खत्म होने की सूचना मिलने पर वह, उसका पुत्र धर्मेन्द्र और उसकी सरहेज बिट्टा देवी लडकी की ससुराल गए थे। उसके कथन में कहीं भी उसकी पत्नी रामादेवी तथा बहू शशी के भी उनके साथ लडकी की ससुराल जाने का कोई उल्लेख नहीं आया है।

17. इस संबंध में साक्षी रामादेवी अ0सा0 5 के प्रतिपरीक्षण कंडिका 8 में उसके द्वारा बताया गया है कि रचना कैसे मरी वह नहीं बता सकती। इसी कंडिका में उसके द्वारा यह बताया गया है कि लडकी को जहर देकर मार डाला गया है। गाँव में उसके साथ डॉक्टर गया था और डॉक्टर ने कहा था कि लडकी को जहर दिया गया है, किन्तु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि किसी भी डॉक्टर के कथन जिससे कि इस बात की पुष्टि हो सके कि मृतिका को वास्तव में जहर दिया गया है और जहर देने से उसकी मृत्यु हुई है अभियोजन के

द्वारा पेश नहीं किया गया है। निश्चित तौर से यदि डॉक्टर के द्वारा मृतिका को देखा गया और इस संबंध में कोई राय दी गई थी तो वह प्रकरण में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकता था, किन्तु डॉक्टर की मौजूदगी घटनास्थल पर होनी नहीं बतायी गयी है और न ही उसका कोई परीक्षण कराया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि जहर देकर लडकी को मारने वाली कोई भी बात साक्षी रामादेवी के द्वारा पुलिस को दिया गया कथन में भी नहीं बताया गया है। प्रथम बार उक्त तथ्य उसके द्वारा न्यायालय में बताया जा रहा है। इस संबंध में उसके द्वारा कंडिका 8 में यह स्वीकार किया है कि उसे एवं उसके परिवार वालों को डॉक्टर के द्वारा बताये जाने के उपरांत भी पुलिस को उसकी लडकी को जहर देने वाली बात नहीं बताई थी।

18. इसी प्रकार अभियोजन साक्षी शशी अ0सा0 6 जो कि न्यायालय में हुए कथन में मृतिका रचना का शरीर जहर की बजह से नीला पड जाना बता रही है, किन्तु उसके द्वारा पुलिस को दिए गए कथन प्र.डी. 1 में कहीं भी मृतिका का शरीर नीला पड जाना अथवा जहर से उसकी मृत्यु होने के संबंध में कोई भी तथ्य नहीं बताया है। उक्त तथ्य प्रथम बार उसके द्वारा न्यायालय में बताया जा रहा है।

19. अभियोजन साक्षी धर्मेन्द्र अ0सा0 2 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षी जिसके द्वारा कि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को दिए गए आवेदनपत्र के आधार पर वर्तमान प्रकरण में जाँच की कार्यवाही की गई है। उक्त साक्षी के द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्र.पी. 4 का आवेदनपत्र दिया जाना और वह जाँच हेतु तत्कालीन प्रभारी एस.डी.ओ.पी. अरविंद कुमार दुवे अ0सा0 7 को प्राप्त होना जिसके आधार पर जाँच की कार्यवाही की जानी बताई जा रही है को अभियोजन के द्वारा साक्षी धर्मेन्द्र सिंह से प्रमाणित नहीं कराया गया है। उक्त साक्षी धर्मेन्द्र सिंह को उपरोक्त आवेदनपत्र के संबंध में न्यायालय के द्वारा साक्ष्य हेतु तलब भी किया गया, किन्तु साक्षी धर्मेन्द्र सिंह न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुआ। निश्चित तौर से यदि साक्षी धर्मेन्द्र सिंह जिसके आवेदनपत्र के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही प्रारंभ हुई है वह इस बिन्दु पर न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुआ है।

20. मृतिका रचना को उसके पति एवं जिठानी के द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खिलाना एवं उनके जहरीले पदार्थ खिलाने से उसकी मृत्यु हो जाने के संबंध में अभियोजन साक्षी जो भी कथन कर रहे हैं वह मात्र शंका के आधार पर कर रहे हैं, जैसा कि साक्षियों के कथनों से स्पष्ट होता है। मृतिका को आरोपी हरेन्द्र और आरोपिया अनीता के द्वारा कोई जहर खिलाया गया ऐसा कोई भी साक्ष्य अथवा परिस्थिति प्रकरण में विद्यमान नहीं है। उनके द्वारा कथित जहर कहाँ से लाया गया एवं जहर किस प्रकार का था ऐसी भी कोई साक्ष्य संकलित नहीं की गई है जिससे कि उक्त तथ्य की किसी भी प्रकार से कोई सम्पुष्टि हो सके। मात्र

शंका अथवा अनुमान साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है। इस बिन्दु पर अभियोजन साक्षी बदनसिंह जो कि मृतिका का पिता है के द्वारा मृतिका का शरीर काला व पीला पड जाना बताया जा रहा है जबकि अन्य साक्षी धर्मेन्द्र जो कि मृतिका का भाई है, रामादेवी जो कि मृतिका की माँ और शशी जो कि मृतिका की भाभी है उसका शरीर नीला पड जाना बता रहे हैं जो कि परस्पर विरोधाभासी है। स्वयं मृतिका के पिता बदनसिंह के साथ गए हुए अन्य साक्षी बिट्टा देवी अ0सा0 3 जो कि मृतिका की मामी है तथा नरेन्द्रसिंह जो कि मृतिका की भाभी के पिता है जो कि साथ में जाना बताया जा रहा है उक्त दोनों के द्वारा इस बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है।

21. बचाव पक्ष के द्वारा इस संबंध में यह आधार लिया गया है कि मृतिका रजनी की मृत्यु छाती में दर्द और उल्टी होने से दिल का दौरा पडने से हुई थी और गाँव के कम्पाउण्डर को भी दिखाया था उसने इलाज कराने के लिए जाने की सलाह दी। जबतक गाड़ी की तलाश करने लगे तब तक मृतिका की मृत्यु हो चुकी थी। इस संबंध में मृतिका के पिता बदनसिंह अ0सा0 1 के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उसकी लडकी ने उल्टी दस्त की बीमारी से पीडित होने वाली बात बताई थी और पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्नों के दौरान कंडिका 6 में यह बताया है कि लडकी की मृत्यु के संबंध में ससुराल वालों से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि लडकी को उल्टी हुई थी। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी रामकिशन माहौर व0सा0 1, मेघसिंह व0सा0 2 एवं गंगाराम शर्मा व0सा0 3 का परीक्षण भी कराया गया है।

22. साक्षी रामकिशन माहौर व0सा0 1 जो कि उप स्वास्थ्य केन्द्र खडियाहार जिला मुरैना में कम्पाण्डर है तथा ग्राम बकनासा भीमसिंह का पुरा का रहने वाला है ने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि उसके पास रात के 12-12:30 बजे जीवनसिंह और भवानीसिंह आए और यह कहने लगे कि उनकी बहू की छाती में दर्द और उल्टी हो रही है उसे देख लो, वह उनके घर गया तो देखा कि बहू (मरीज) को दो उल्टियाँ हो गई थी और पल्स बढ गई थी तथा छाती में दर्द होना बता रही थी, उसने उसे देखकर कहा कि उसकी स्थिति खराब है उसे ग्वालियर ले जाओ। प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा बताया गा कि उसके गाँव बकनासा से एक किलो मीटर दूर है और वह रात को 12-12:30 बजे करीब बकनासा पहुँचा ता। मरीज देखने के संबंध में पूछे जाने पर मरीज देखने का अधिकार न होना बताया है। स्वतः कहा कि गाँव के लोग आ जाते हैं तो छोटी मोटी दवाईयाँ दे देते हैं। निश्चित तौर से गाँव में कम्पाण्डर आदि की सहायता लोगों के द्वारा बीमार होने पर ली जाती है और उनके द्वारा मरीज की पल्स और हालत देखकर अनुमान लगाया जा सकना अस्वभाविक भी नहीं लगता

है। साक्षी रामकिशन माहौर के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है जिससे कि यह दर्शित होता हो कि वह आरोपीगण से हितबद्ध होकर कोई कथन कर रहा है।

23. इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी मेघसिंह व0सा0 2 जिसके पास बुलेरो गाडी है और उसके चलाता है उसके द्वारा भी बताया गया कि हरेन्द्र की पत्नी की तबियत ज्यादा खराब थी और कम्पाण्डर रामकिशन ने ग्वालियर जाने के लिए कहा था जब वह गाडी लेकर हरेन्द्र के घर पहुँचा तब तक अर्चना की मृत्यु हो चुकी थी। उक्त साक्षी का अभियोजन के द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में उसने स्पष्ट किया है कि घटना रात के 12-01 बजे की है और उसके पास बुलेरो गाडी है उसे यह जानकारी हुई थी कि अर्चना का हार्डअटेक आ गया है और वह खत्म हो गई है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत भी उसके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है। उसके द्वारा आरोपीगण से हितबद्ध होकर कोई कथन किया जा रहा हो ऐसा भी मानने का आधार नहीं है। इस बिन्दु पर साक्षी गंगाराम शर्मा व0सा0 3 जो कि मृत्तिका के पडोस का ही रहने वाला है के द्वारा भी रात के 12-01 बजे के करीब मृत्तिका को छाती में दर्द और उल्टियाँ होना और रामकिशन कम्पाण्डर को बुलाकर लाया जाना और उसके द्वारा तबियत ज्यादा खराब होने से ग्वालियर जाने की सलाह देना तथा तब तक उसकी मृत्यु हो जाने के संबंध में बताया है। उक्त संबंध में उपरोक्त साक्षियों को अभियोजन के द्वारा प्रतिपरीक्षण में कोई सुझाव नहीं दिया गया है जिससे कि उसके द्वारा किया गया कथन प्रतिखण्डित होता हो।

24. उपरोक्त बिन्दु पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य स्वयं अभियोजन के द्वारा अभियोगपत्र के साथ पेश किया रोजनामचा सान्हा दिनांक 21.07.08 की प्रतिलिपि है। उक्त प्रतिलिपि यद्यपि अभियोजन के द्वारा प्रमाणित नहीं कराई गई है, किन्तु निश्चित रूप से उक्त दस्तावेज जो कि अभियोजन के द्वारा पेश किया गया है और अभियोजन का दस्तावेज है, उस दस्तावेज को बचाव पक्ष के द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। प्रकरण के साथ संलग्न रोजनामचा सान्हा प्र.डी. 2 के संबंध में प्रकरण के विवेचना अधिकारी अरविंद कुमार दुबे तत्कालीन अनुविभागी अधिकारी पुलिस के द्वारा ही प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि दिनांक 21.07.08 के रोजनामचा सान्हा क्रमांक 539 ए.एस.आई एच.एस.जादौन के द्वारा लेख किया गया है और जिसकी सत्यप्रतिलिपि संलग्न है और इस बात को भी स्वीकार किया है कि जाँच के लिए जब आवेदन मिला था तब उन्होंने रोजनामचा सान्हा देखा था और इस बात को भी स्वीकार किया है कि रोजनामचा सान्हा प्र.डी. 2 दिनांक 21.07.08 में इस बात का उल्लेख है कि मृत्तिका के पिता बदनसिंह और भाई आदि से पूछताछ की तो सभी ने मृत्तिका

की मृत्यु के संबंध में किसी पर कोई शकसुबह न होना बताया और इस संबंध में अभी कोई रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तथा उनसे वयान देने के लिए कहा गया तो अभी वयान न देते हुए 3-4 दिन बाद वयान देने का कहा था और इस बात उल्लेख प्र.डी. 2 के ए से ए भाग पर है। इस संबंध में प्र.डी. 2 के दस्तावेज में मृतिका की अचानक तबियत खराब हो जाना गाँव में उपचार की व्यवस्था न होने का उल्लेख भी प्र.डी. 2 में होना स्वीकार किया है तथा उक्त दस्तावेज प्र.डी. 2 में स्पष्ट रूप से इस बात का भी उल्लेख आया है कि रात को 12 बजे अर्चना को उल्टी हुई और छाती में दर्द हुआ और छाती में दर्द हुआ और छाती पर बजन सा रखा होना बताया था और उसके इलाज के लिए गाड़ी का इंतजाम किये जाने तक उसकी मृत्यु हो जाने का उल्लेख आया है। इस प्रकार स्वयं अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेज भी मृतिका की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में न होकर बीमारी के आधार पर होने का तथ्य दर्शाता है। इस प्रकार मृतिका रचना उर्फ अर्चना की मृत्यु संदेहास्पद परिस्थितियों में होने के संबंध में अभियोजन कथानक प्रमाणित नहीं होता है।

25. मृतिका से आरोपी हरेन्द्र व अनीता के द्वारा दहेज की मांग करने करने और दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने का प्रश्न है इस संबंध में मृतिका के पिता बदनसिंह अ0सा0 1 के द्वारा दहेज की मांग कर उसकी लडकी को प्रताड़ित किया जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। साक्षी को प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर उसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उसकी लडकी से कोई चालीस हजार रुपए और मोटरसाइकिल की मांग नहीं की गई थी और इस बात को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसकी लडकी को उसके ससुरालजन/आरोपीगण दहेज के लिए परेशान नहीं करते थे।

26. उपरोक्त संबंध में अभियोजन साक्षी धर्मेन्द्र अ0सा0 2 ने उसकी बहन रचना को उसके पति हरेन्द्र और जिठानी अनीता के द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल मांगने की बात बताई है। साक्षिया रामादेवी अ0सा0 5 जो कि मृतिका की माँ है के द्वारा यह बताया गया है कि लडकी के द्वारा पति हरेन्द्र के द्वारा उसे मारपीट करने की शिकायत की जाती थी और यह भी बताया जाता था कि अनीता उसे खाना नहीं देती थी तथा मोटरसाइकिल व चालीस हजार रुपए की मांग करते हैं। अन्य अभियोजन साक्षी शशी अ0सा0 6 जो कि मृतिका की भाभी है के द्वारा यह बताया गया है कि रचना पति हरेन्द्र के द्वारा मारपीट करना एवं शादी के बाद जब वह आई थी तो मोटरसाइकिल व चालीस हजार रुपए की मांग करने के संबंध में बताया था।

27. साक्षी धर्मेन्द्र अ0सा0 2 प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि आरोपीगण ने उसकी

बहन से रूपयों की मांग नहीं की थी, सिर्फ मोटरसाइकिल की मांग की थी। उसकी बहन के द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने की बात उसे कब बताई गई ऐसा साक्षी के द्वारा कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान साक्षी धर्मेन्द्र के द्वारा पुलिस अधीक्षक को की गई रिपोर्ट के आधार पर और उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक को पेश किए गए शपथपत्र के आधार पर प्रकरण की जांच की कार्यवाही की गई है। इस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र प्र.पी. 4 के आधार पर जांच की कार्यवाही करना जांचकर्ता अधिकारी अरविंद कुमार दुवे तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के द्वारा बताया गया है। उक्त प्र.पी. 4 की रिपोर्ट जो कि अभियोजन के द्वारा साक्षी धर्मेन्द्र के कथन होने के उपरांत पेश की गई थी। साक्षी धर्मेन्द्र को उक्त रिपोर्ट के संबंध में न्यायालय के द्वारा साक्ष्य हेतु तलब किया गया था, किन्तु वह साक्ष्य हेतु उपस्थित ही नहीं हुआ। ऐसी दशा में वर्तमान साक्षी की जिस रिपोर्ट के आधार पर दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित करने और उसकी दहेज हत्या होने के संबंध में आक्षेप लगाया गया है वह रिपोर्ट ही रिपोर्टकर्ता के द्वारा प्रमाणित नहीं की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट प्र.पी. 4 में दहेज में नगद व मोटरसाइकिल की मांग बावत् उल्लेख आया है, जबकि साक्षी धर्मेन्द्र के द्वारा अपने साक्ष्य में यह बताया जा रहा है कि नगदी की कोई मांग नहीं की गई थी। साक्षी के कथन में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं बताया गया है कि तथाकथित मोटरसाइकिल की मांग कब की गई और कब उसकी बहन के द्वारा उसे इस संबंध में बताया गया। जबकि धारा 304बी भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध की प्रमाणिकता हेतु मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग कर प्रताड़ित किया जाना आवश्यक है।

28. साक्षी रामादेवी अ0सा0 5 अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताई है कि लडकी रचना ने मारपीट और मोटरसाइकिल तथा चालीस हजार रूपए मांगने की बात अपने पिता बदनसिंह और भाई धर्मेन्द्र को नहीं बताई थी। यह अस्वभाविक लगता है कि किसी लडकी से दहेज की मांग ससुराल वालों के द्वारा की जाए और उसे मारपीट किया जाए और वह बात लडकी अपने पिता जो कि घर के वरिष्ठतम सदस्य है उन्हें न बताए। कंडिका 5 में उक्त साक्षी यह बताई है कि आरोपी हरेन्द्र चालीस हजार रूपए व मोटरसाइकिल की मांग अगहन माह की बिदा हुई तब दहेज के लिए कहा था और इस संबंध में उक्त बात की जानकारी उसके पिता और घर के सभी लोगों को मालूम है, किन्तु इस संबंध में उसके पति बदनसिंह जो कि मृतिका का पिता है के द्वारा साफतौर से यह बताया गया है कि लडकी से किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग आरोपीगण के द्वारा नहीं की गई। उक्त साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण कंडिका 4 में यह बताया कि सोनू जो कि रचना का देवर है उसे होली के बाद लिवाकर ले गया था। सोनू जब

उसे लिवाकर ले गया था तब तक कोई बात नहीं थी। उसके लडके धर्मेन्द्र ने फोन से दो बार पूछा था तो लडकी ने कहा था कि कोई परेशानी नहीं है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि होली के समय मृतिका आखरी बार अपने मायके आई थी उसके बाद बिदा होने पर वापस नहीं आई थी। इस परिप्रेक्ष्य में उक्त साक्षी उसके देवर सोनू के द्वारा होली के बाद ले जाने तक कोई बात न होना बता रही है। इस परिप्रेक्ष्य में लडकी के द्वारा उसे दहेज की मांग आरोपीगण के द्वारा की जाने के संबंध में कोई बात बताई गई हो यह स्वभाविक नहीं लगता।

29. अभियोजन साक्षी शशी अ0सा0 6 जो कि मृतिका की भाभी हैं ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को कंडिका 2 में बताई है कि शादी के बाद जब रचना अपने मायके में आई तब उसने अपने ससुराल वालों के संबंध में कोई शिकायत नहीं की थी। उसकी बिदाई अगहन माह में हुई थी, बिदाई के समय आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा दहेज की मांग किये जाने के संबंध में उसके द्वारा नहीं बताया गया है। जबकि साक्षी रामादेवी अगहन की बिदाई के समय दहेज की मांग करने के संबंध में बता रही है। साक्षी शशी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि बिदा से लौटकर आने पर उसे उक्त बात बताया जाना बताया जा रहा है, लेकिन उसे ध्यान नहीं है कि किस महीने, किस सन् में उक्त बात बताई थी। उक्त साक्षिया रचना से केवल एक ही बार उसकी बात होना बता रही है। ऐसी दशा में जबकि साक्षिया यह नहीं बता पाई कि रचना से जब बात हुई थी एवं जब रचना के द्वारा दहेज मांगने की बात के लिए बताई गई थी उसके कथन के आधार पर आरोपीगण के द्वारा दहेज मांग करने के संबंध में एवं रचना को प्रताड़ित करने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

30. इस प्रकार मृतिका रचना से उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति हरेन्द्र एवं जिठानी अनीता के द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता कारित किया जाना अथवा आरोपीगण के द्वारा मृतिका से दहेज की मांग के संबंध में तथ्य की प्रमाणिकता अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है। इस संबंध में मृतिका का पिता बदनसिंह अ0सा0 1 स्पष्ट रूप से उसकी लडकी को उसकी ससुराल वालों के द्वारा किसी प्रकार की दहेज की मांग करने से अथवा दहेज के लिए उसे परेशान करने से साफतौर से इंकार किया है तथा इस बिन्दु पर अन्य अभियोजन साक्षी धर्मेन्द्र अ0सा0 2, रामादेवी अ0सा0 5 व शशी अ0सा0 6 के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों में आए हुए तथ्य के परिप्रेक्ष्य में और उनके परस्पर विरोधाभासी कथनों के आलोक में उक्त बिन्दु प्रमाणित होना नहीं होता है। प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह भी है कि स्वयं अभियोजन के द्वारा रोजनामचा सान्हा

दिनांक 21.07.08 की प्रतिलिपि पेश की गई जो कि प्र.डी. 2 के रूप में प्रदर्शित हुई है। उक्त प्र.डी. 2 का दस्तावेज जो कि निश्चित तौर से बचाव के उपयोग में लाया जा सकता है में ए से ए भाग पर स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि मृतिका रचना उर्फ अर्चना की मृत्यु के बारे में किसी पर कोई शकसुबह न होना उसके पिता, भाई, चाचा आदि के द्वारा बताया गया है, उसकी मृत्यु अचानक तबियत खराब होने के कारण होने का उल्लेख आया है। ऐसी दशा में बाद में आवेदक धर्मेन्द्र के आवेदनपत्र के आधार पर जो कि प्रमाणित भी नहीं हुई है वर्तमान प्रकरण की कार्यवाही की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में भी अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता इस बिन्दु पर प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता।

31. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि मृतिका की मृत्यु संदेहास्पद परिस्थितियों में होना अथवा मृतिका को उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाना के संबंध में अथवा मृतिका से दहेज की मांग करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता युक्तियुक्त आधार पर प्रमाणित नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में धारा 113बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उसकी दहेज हत्या होने के संबंध में भी कोई अवधारणा नहीं की जा सकती। आरोपी हरेन्द्र व अनीता के द्वारा मृतिका को दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान व प्रताड़ित किये जाने के संबंध में भी अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है।

बिन्दु क्रमांक 6:-

32. अभियोजन प्रकरण के अनुसार मृतिका रचना उर्फ अर्चना जिसकी कि दिनांक 21.07.08 को मृत्यु हुई थी जो कि उसके पति और ससुराल जनों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने के फलस्वरूप उसकी दहेज हत्या हुई थी। उसकी मृत्यु के उपरांत उसके पति हरेन्द्र, जिठानी अनीता के द्वारा तथा अन्य सहआरोपी बृजेन्द्र सिंह, द्वारिका सिंह, सुरेन्द्रसिंह, सोनू व भवानीसिंह के द्वारा मृतिका के शव को साक्ष्य बिलोपन किये जाने के आशय से जला दिया जिससे कि आरोपियों को वैध दंड से प्रतिक्षादित किया जा सके।

33. सर्वप्रथम जहाँ तक रचना उर्फ अर्चना की मृत्यु होने का प्रश्न है, उसकी मृत्यु दिनांक 21.07.08 को होना प्रमाणित है। मृतिका की मृत्यु के पश्चात् उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसके शव का कोई पंचनामा या पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी धर्मेन्द्र अ0सा0 2 के द्वारा यह बताया गया है कि वह अपनी बहन की मृत्यु के बाद थाना एण्डोरी रिपोर्ट करने गया था उसके साथ उसके ससुर नरेन्द्र भी गये थे।

पुलिस थाना एण्डोरी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी, उसके बापस वह बापस ग्राम बकनासा अपनी बहन की ससुराल में गया था तब तक बहन का दाह संस्कार हो चुका था। दाह संस्कार किन लोगों के द्वारा किया गया यह उसे नहीं मालूम ।

34. इस बिन्दु पर साक्षी बदनसिंह अ0सा0 1 के द्वारा भी मुख्य परीक्षण में बताया गया है कि आरोपी हरेन्द्र ने उसकी बहन रचना को उसकी मृत्यु के बाद जलाया गया था जिसकी सूचना गाँव वालों ने दी थी। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी अपनी लडकी धर्मेन्द्र के साथ एण्डोरी थाना जाना बता रहा है जबकि धर्मेन्द्र अ0सा0 2 के अनुसार वह और उसका ससुर नरेन्द्र थाना एण्डोरी गए थे। इस संबंध में साक्षी रामादेवी अ0सा0 5 के द्वारा बताया गया है कि लडकी की लाश जलाने के लिए ब्रजेन्द्र, सोनू, हरेन्द्र तथा और भी लोग मोहल्ला पडोस के थे ले गए थे तथा साक्षिया शशी अ0सा0 6 के द्वारा यह बताया गया है कि लाश को हरेन्द्र, सोनू, ब्रजेन्द्र, द्वारिका तथा एक दो और लोग टैक्टर में रखकर मरघट ले गए थे और लाश को जला दिया था। इस बिन्दु पर साक्षी बदनसिंह अ0सा0 1 जिसे कि अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं कंडिका 7 में पूछे जाने पर इस बात को गलत बताया है कि उसकी लडकी की लाश को उसके ससुरालजन व अन्य आरोपीगण ने पुलिस के आने के पहले जला दिया था। स्वतः कहा कि गाँव वालों ने उसे बताया था। साक्षिया रामादेवी अ0सा0 5 के द्वारा कंडिका 8 में यह बताया गया है कि उसके घर वालों को रचना के दाह संस्कार में जबरदस्ती ले गए थे। घर वालों को अंतिम संस्कार में जबरदस्ती ले जाने के संबंध में कोई शिकायत नहीं की थी। साक्षिया का उक्त कथन इस बात को दर्शाता है कि मृतिका के दाह संस्कार के समय उसके मायके पक्ष के लोग भी मौजूद थे, उन्हें जबरदस्ती दाह संस्कार में ले जाया गया हो ऐसा कहीं भी अभियोजन के द्वारा नहीं बताया जा रहा है। इस बिन्दु पर साक्षी शशी अ0सा0 6 प्रतिपरीक्षण में मृतिका की लाश को उनकी मौजूदगी में जलाए जाने से इंकार की है। निश्चित तौर से इस संबंध में जबकि उपरोक्त अभियोजन साक्षी घटना दिनांक को मृतिका की ससुराल पहुँच गये थे और वहाँ मौजूद थे, उनकी अनुपस्थिति अथवा उनको कोई सूचना दिए बिना मृतिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया हो ऐसा मानने का आधार नहीं है।

35. इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह तथ्य भी है कि घटना के पश्चात् पुलिस अधीक्षक को साक्षी धर्मेन्द्र के द्वारा जो रिपोर्ट की गई है तथा रिपोर्ट के साथ जो शपथपत्र पेश किया गया है जिसके आधार पर प्रकरण की जाँच की कार्यवाही की गई है। उक्त शपथपत्र में इस बात का उल्लेख आया है कि वह घटना की रिपोर्ट करने एण्डोरी थाना गया था तो पुलिस थाना एण्डोरी उसके साथ ग्राम बकनासा गई थी। इस संबंध में स्वयं अभियोजन पक्ष के

द्वारा रोजनामचा सान्हा दिनांक 21.07.08 प्र.डी. 2 का पेश किया गया है और इस बिन्दु पर प्रकरण के जॉचकर्ता अधिकारी अरविंद दुवे के द्वारा भी उक्त रोजनामचा सान्हा प्र.डी. 2 में इस बात का उल्लेख होना कि मृतिका की अचानक तबियत खरा हो जाने से तथा गाँव में उपचार की व्यवस्था न होने से मृत्यु हो जाना और उसका दाह संस्कार मायके पक्ष की राजमंदी से किया जाने के संबंध में बी से बी भाग में उल्लेख है। यद्यपि साक्षी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि उक्त सान्हा ए.एस.आई जादौन के द्वारा अंकित किया गया है। निश्चित तौर से प्र. डी. 2 का दस्तावेज बचाव पक्ष के द्वारा बचाव में उपयोग में लाया जा सकता है तथा उक्त दस्तावेज में स्पष्ट रूप से मृतिका का अंतिम संस्कार मायके पक्ष की रजामंदी से किया जाने बावत् उल्लेख आया है।

36. इस संबंध में बचाव साक्षी गंगाराम शर्मा व0सा0 3 के द्वारा भी उक्त बात का समर्थन करते हुए यह बताया है कि रचना के मायके पक्ष के लोग आ गए थे और उनकी सहमति से रचना का दाह संस्कार किया गया था और मायके वाले लोग दाह संस्कार में गए थे। उक्त बिन्दु पर अभियोजन के द्वारा उक्त साक्षी का कोई प्रतिपरीक्षण भी नहीं किया गया है। इस प्रकार बचाव साक्षी गंगाराम के कथन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मृतिका का अंतिम संस्कार उसके मायके पक्ष के लोगों की सहमति से किया गया है।

37. यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती विवेचना के परिप्रेक्ष्य में मृतिका रचना उर्फ अर्चना की दहेज मृत्यु होने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में जबकि मृतिका की दहेज मृत्यु का तथ्य भी प्रमाणित नहीं है और प्रकरण में आई हुई साक्ष्य इस बात को प्रमाणित करता है कि मृतिका का अंतिम संस्कार उसके मायके पक्ष के लोगों की सहमति के आधार पर किया गया है था। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपीगण के द्वारा मृतिका की दहेज मृत्यु होने के उपरांत साक्ष्य विलोपित करने के आशय से उसके शव को जलाकर साक्ष्य विलोपित किया जाना जिससे कि आरोपी वैध दंड से प्रतिष्ठादित हो सके के संबंध में भी अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है।

38. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य के आलोक में अभियोजन का प्रकरण आरोपीगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। अभियोजन प्रकरण को प्रमाणित न होना पाते हुए आरोपीगण हरेन्द्र, श्रीमती अनीता को आरोपित धारा 498ए, 304बी, 201 भा0दं0वि0 तथा अन्य आरोपीगण भवानीसिंह, सोनू, सुरेन्द्र, द्वारिका और ब्रजेन्द्र को धारा 201 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

39. प्रकरण में जप्तशुदा बस टी.व्ही. के टूटे हुए टुकड़े और उसके टूटे हुए पार्ट्स मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किय जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड